न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्याः 07/2023
दायर दिनांकः 02.06.2023
निर्णय दिनांक 08.04.2025

—: अनवान :—

श्री किशन लाल पिता श्री कालु जी, जाति जाट, उम्र 65 वर्ष, निवासी झोर, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.) **— अपीलान्ट**

:: बनाम ::

राज्य सरकार जरिये श्रीमान् उप तहसीलदार महोदय, सरदारगढ़, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.) **— रेस्पोडेन्ट**

अपील अधीन धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम विरुद्ध प्रकरण संख्या 05 सन् 2022, आदेश/निर्णय दिनांक 08/08/2022

उपस्थितः—

1— श्री रामलाल जाट, अधिवक्ता अपीलान्ट

2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध प्रकरण संख्या 05/2022 निर्णय दिनांक 08.08.2022 अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट/विपक्षी अपने बाप—दादाओं के समय से ही अपनी खातेदारी जमीन राजस्व ग्राम झोर, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द के आराजी संख्या 319 के सटमा 326, रकबा 0.3000 हैक्टेयर पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं तथा सन् 2003 में राजस्व अधिकारी पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट/विपक्षी को अतिक्रमण की जानकारी देने एवं नोटिस मिलने के पश्चात् अपीलाण्ट/विपक्षी द्वारा पेनल्टी राशि समय—समय पर निरन्तर जमा कराई जा रही हैं तथा वर्षों पुरानी चारों ओर बनी दीवार एवं फाटक लगी हो, अपीलाण्ट/विपक्षी एवं उसके पूर्व स्वामित्व, आधिपत्य एवं कब्जेशुदा उक्त भूमि पर काश्त करते आ रहे हैं उक्त नाजायज कब्जा की कार्यवाही रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 18/07/2022 को प्रारम्भ कर आगामी दिनांक 08/08/2022 को अपीलाण्ट/विपक्षी को बिना सूचना एवं सुने एकतरफा कार्यवाही कर इसी दिनांक को एकतरफा निर्णय दिनांक 08/08/2022 को पारित किया, जिसके विरूद्ध इन

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

आधारों पर अपील प्रस्तुत की हैं कि अपीलाण्ट/विपक्षी का ग्राम झोर, पटवार हल्का झोर, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द में 50 वर्षों से भी अधिक समय से अपने पूर्वजों के समय से अपनी आराजी संख्या 319 के सटमा आराजी संख्या 326 में से रकबा 0.3000 हैक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट/विपक्षी वर्षों से काबिज होकर वर्षों पूर्व पत्थर की दीवार बनी होकर अपीलाण्ट/विपक्षी कृषि कार्य करता आ रहा था। अपीलाण्ट/विपक्षी ने उक्त कब्जेशुदा आरजी जो पूर्व में मौके पर उबड़–खाबड़ एवं कंकरीट थी, जिसमें उपजाऊ मिट्टी का काफी भराव लाखों रूपयें खर्च कर उक्त भूमि को उपजाऊ बनाया और उक्त भूमि का समतलीकरण करा करीब 20 वर्ष पूर्व उक्त भूमि पर सिंचाई हेतु ट्यूबवेल खुदवाई गई हैं, उक्त आराजी संख्या 326 में वर्णित क्षेत्रफल के अलावा भूमि पर अपीलाण्ट/विपक्षी का कोई सम्बन्ध नहीं हैं। सन् 2003 में अपीलाण्ट / विपक्षी को आराजी संख्या 326 पर 0.3000 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए नोटिस धारा 91 के तहत दिया गया, जिस पर अपीलाण्ट/विपक्षी ने उक्त कब्जेशुदा भूमि का नियमन करने के लिए पटवारी हल्का को कार्यवाही के लिए मौखिक कई बार बताया तथा उसके पश्चात् वर्ष, 2003 से अपीलाण्ट /विपक्षी से रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 91 की कार्यवाही के नोटिस कई बार दिये गये। परन्तु अपीलाण्ट/विपक्षी जो कि बिल्कुल छोटा काश्तकार है तथा अपीलाण्ट/विपक्षी एवं उसका पुरा परिवार कृषि की आय पर ही निर्भर हैं और अपीलाण्ट/विपक्षी अनपढ़ होकर अपने पूर्वजों के समय से उक्त भूमि पर ही खेती–बाड़ी करके अपना व अपने परिजनों का पालन–पोषण कर रहा हैं। अपीलाण्ट/विपक्षी के द्वारा वर्षों से जो फसलें बोई गई हैं, उसका विवरण भी अधीनस्थ पटवार हल्का एवं उप तहसीलदार, सरदारगढ़ के रिकॉर्ड में विद्यमान हैं तथा आज भी रचका की फसल अपीलाण्ट/विपक्षी की मौके पर उक्त भूमि पर खड़ी हैं तथा अपीलाण्ट/विपक्षी के पशु गाय–भैंसे उक्त रचका की फसल पर ही निर्भर हैं। अपीलाण्ट/विपक्षी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुने एवं बिना स्थिति देखे एवं बिना मौके की रिपोर्ट देखे बिना विधि–विरूद्ध बेदखल आदेश/निर्णय पारित किया, जो अपास्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय/रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 18/07/2022 को नाजायज कब्जा की कार्यवाही पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 13/07/2022 के अनुसार प्रारम्भ की, जिसकी विधिवत् अपीलाण्ट/विपक्षी को तामिल एवं जवाब लिये बिना अगली दिनांक 08/08/2022 को ही पत्रावली अपीलाण्ट/विपक्षी को सुने बिना निर्णय दिनांक 08/08/2022 का एक तरफा कार्यवाही का पारित कर कानूनन भारी भूल की हैं, जो अपीलाण्ट/विपक्षी को विधिवत् सूचना दिये बिना एवं बिना सुरे पारित किया गया हैं, जो काबिल खारिज हैं। अपीलाण्ट/विपक्षी आज भी मौके पर उक्त भूमि पर काबिज हैं तथा अपीलाण्ट/विपक्षी को बिना जानकारी फसल की बोली कैलाश पिता मोहन लाल जाट का मकान लगाना बताया गया, जो कानूनन विधि सम्मत नहीं होकर गलत हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/विपक्षी को दिनांक 01/03/2023 को पुरानी नीलामी की राशि 750/– पुस्तक संख्या 086960, रसीद संख्या 0010 के अनुसार प्राप्त की तथा रसीद संख्या 009 द्वारा 50/– प्राप्त किये गये। उसके बाद दिनांक 11/04/2023 को पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने की

अपीलाण्ट/विपक्षी द्वारा दिनांक 12/04/2023 को अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन देकर नकल प्राप्त दिनांक 12/04/2023 को प्राप्त होते ही अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं, जिसमें अपीलाण्ट/विपक्षी को जानकारी दिनांक 11/04/2023 को उक्त आदेश की जानकारी मिलने पर अविलम्ब दिनांक 12/04/2023 को अधीनस्थ न्यायालय/रेस्पोडेन्ट के निर्णय की नकल प्राप्त करते ही अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत की जा रही हैं, फिर भी आप न्यायालय द्वारा यदि मयाद पर अपील देखी जाती हैं, तो इस हेतु मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्ट/विपक्षी स्वीकार फरमाई जाकर प्रकरण संख्या 05/2022 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08/08/2022 को अपास्त किया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने आईन्दा बहस हेतु अवसर चाहा, जिसे अस्वीकार किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया कि प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जावे। राजकीय अधिवक्ता ने एकपक्षीय बहस हेतु निवेदन किया। जिस पर राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

मैंने राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर गहन मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। व प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सरदारगढ़ की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि पटवारी हल्का झौर ने अपीलार्थी किशन लाल पिता कालू जाट के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि राजस्व ग्राम गोवलिया की बिलानाम भूमि आराजी संख्या 326 रकबा 0.5100 हैक्टेयर किस्म बंजड़ में से 0.1500 हैक्टेयर भूमि पर किशन लाल पिता कालू जाट ने अनाधिकृत कब्जा किया है। जिससे इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करावे। पटवारी हल्का झौर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.07.2022 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी किशन लाल पिता कालू जाट को दिनांक 08.08.2022 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। परन्तु अतिक्रमी को जारी नोटिस बाद/अदम तामील अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं

है। नियत पेशी दिनांक के दिन अतिक्रमी अनुपस्थित रहा जिससे इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली आदेश पारित किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित तामील व समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रकरण निर्णित कर दिया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को समुचित तामील व समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम पेशी दिनांक को ही निर्णय पारित कर दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया की समुचित पालना नहीं की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में न्यायिक प्रक्रिया की समुचित पालना नहीं किये जाने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सरदारगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2022 को अपास्त किया जाता है तथा उपतहसीलदार सरदारगढ़ को प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर व न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ण पालना की जाकर प्रकरण में नये सिरे से निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति उपतहसीलदार सरदारगढ़ को लौटायी जावे।

8/4/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 08.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

8/4/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद